



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2878]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2018/श्रावण 04, 1940

No. 2878]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2018/SHRAVANA 04, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

सं. 22/2015-2020

विषय: विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 2.47 और पैरा 3.05 में संशोधन।

का.आ. 3662(अ).—विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1-02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधित करती है:—

2.

विदेश व्यापार नीति 2015-20 का पैरा	मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
2.47	2.47 कूरियर सेवा/डाक के माध्यम से निर्यात पंजीकृत कूरियर सेवा के माध्यम से किया जाने वाला निर्यात राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अनुमत है। तथापि ऐसी मर्दों का आयात/निर्यात किया जाना विदेश व्यापार नीति/आईटीसी (एचएस), 2017 के	2.47 कूरियर सेवा/डाक के माध्यम से निर्यात पंजीकृत कूरियर सेवा के माध्यम से किया जाने वाला निर्यात राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अनुमत है।

	अनुसार विनियमित किया जाएगा।	तथापि ऐसी मर्दों का आयात/निर्यात किया जाना विदेश व्यापार नीति/आईटीसी (एचएस), 2017 के अनुसार विनियमित किया जाएगा। कूरियर सेवा और डाक के माध्यम से किए जाने वाले ऐसे निर्यात हेतु मूल्य सीमा 500,000 रुपये प्रति खेप होगी।
3.05	<p>3.05 ई-कामर्स प्रयोग करने वाले कूरियर या विदेश के डाक कार्यालयों के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात</p> <p>(i) परिशिष्ट 3ग की अधिसूचना के अनुसार ई-कामर्स का उपयोग करते हुए कूरियर अथवा विदेश के डाक कार्यालयों के माध्यम से 25000 रुपये प्रति खेप की एफओबी मूल्य वस्तुओं का निर्यात एमईआईएस के अंतर्गत के प्रतिफल प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।</p> <p>(ii) यदि ई-कामर्स प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए निर्यात का मूल्य 25000 रु० प्रति खेप से अधिक है तो, एमईआईएस प्रतिफल केवल 25000 रु० के एफओबी मूल्य तक सीमित होगा।</p> <p>(iii) ऐसी वस्तुएं नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में स्थित विदेश डाक कार्यालयों के माध्यम से मैनुअल विधि में निर्यात की जा सकती है।</p> <p>(iv) कूरियर विनियमों के अधीन ऐसे माल का निर्यात, राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए विनियमों में उपयुक्त संशोधनों के अनुसार दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में स्थित विमानपत्तनों के माध्यम से प्रायोगिक आधार पर मैनुअल विधि द्वारा अनुमत किया जाएगा। राजस्व विभाग कूरियर टर्मिनलों पर ईडीआई विधि का कार्यान्वयन फास्ट-ज्जक आधार पर करेगा।</p>	<p>3.05 कूरियर अथवा विदेशी डाक कार्यालयों के माध्यम से किए जाने वाले वस्तुओं के निर्यात हेतु एमईआईएस के अंतर्गत पात्रता</p> <p>परिशिष्ट 3ग में यथा अधिसूचित कूरियर अथवा विदेशी डाक कार्यालय के माध्यम से किया गया निर्यात जिसका एफओबी मूल्य 500,000 रु० प्रति खेप है, एमईआईएस के अंतर्गत प्रतिफल प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। यदि निर्यात का मूल्य 500,000 रुपये प्रति खेप से अधिक है तो एमईआईएस प्रतिफल का आधार पर ही परिकलन किया जाएगा।</p>

इस अधिसूचना का प्रभाव: कूरियर सेवा/डाक के माध्यम से किए जाने वाले निर्यात के मूल्य की सीमा 500,000 रुपये प्रति खेप निर्धारित की गई है तथा कूरियर/डाक के माध्यम से किए जाने वाले निर्यात हेतु एमईआईएस के अंतर्गत पात्रता हेतु पात्रता मानदंड को पूर्व की 25,000 रुपये प्रति खेप से बढ़ाकर 500,000 रुपये प्रति खेप कर दिया गया है। एमईआईएस के तहत प्रोत्साहन के प्रयोजन से कूरियर द्वारा निर्यात के लिए निर्यात के पत्तन संबंधी शर्त को समाप्त कर दिया गया है।

[फा. सं. 01/61/180/16/एम 17/पीसी-3]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2018

No. 22 /2015-2020

Subject: Amendment in Para 2.47 and para 3.05 of Chapter-3 of FTP 2015-2020.

S.O. 3662(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade Policy 2015-2020 with immediate effect:

2.

Para of the FTP 2015-20	Current para	Amended Para
2.47	<p>2.47 Export through Courier Service/Post</p> <p>Exports through a registered courier service is permitted as per Notification issued by DoR. However, exportability of such items shall be regulated in accordance with FTP/ ITC (HS), 2017.</p>	<p>2.47 Export through Courier Service/Post</p> <p>Exports through a registered courier service is permitted as per Notification issued by DoR. However, exportability of such items shall be regulated in accordance with FTP/ ITC (HS), 2017. The value limit for such exports through courier service and Post shall be Rs 5,00,000 per consignment.</p>
3.05	<p>3.05 Export of goods through courier or foreign post offices using e-Commerce</p> <p>i. Exports of goods through courier or foreign post office using ecommerce, as notified in Appendix 3C, of FOB value upto Rs. 25000 per consignment shall be entitled for rewards under MEIS.</p> <p>ii. If the value of exports using e-commerce platform is more than Rs 25000 per consignment then MEIS reward would be limited to FOB value of Rs.25000 only.</p> <p>iii. Such goods can be exported in manual mode through Foreign Post Offices at New Delhi, Mumbai and Chennai.</p> <p>iv. Export of such goods under Courier Regulations shall be allowed manually on pilot basis through Airports at Delhi, Mumbai and Chennai as per appropriate amendments in regulations to be made by Department of Revenue. Department of Revenue shall fast track the implementation of EDI mode at courier terminals.</p>	<p>3.05 Entitlement under MEIS for Export of goods through courier or foreign post offices</p> <p>Exports of goods through courier or foreign post office, as notified in Appendix 3C, of FOB value up to Rs 5,00,000 per consignment shall be entitled for rewards under MEIS. If the value of exports, is more than Rs 5,00,000 per consignment then MEIS reward would be calculated on the basis of FOB Value of Rs 5,00,000 only.</p>

Effect of this Notification: The value limit for exports through Courier service/ Post has been placed at Rs 5,00,000 and the eligibility criteria for entitlement under MEIS for courier/ post exports have been increased to Rs 5,00,000 per consignment from the earlier Rs 25,000 per consignment. The limitation on the port of exports for courier exports for the purpose of incentivisation under MEIS has been done away.

[F. No. 01/61/180/16/AM17/PC-3]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade